

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक नवम्बर, 2013

पत्र संख्या-1/एल01-10-22/2013 गृ0आ0 / श्री मिटु प्रसाद, भा0पु0से0 (2001), पुलिस अधीक्षक (सी0), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 22.11.2013 से 06.12.2013 तक कुल-15 (पन्द्रह) दिनों की उपाजित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-22/2013 गृ0आ0 /पटना, दिनांक नवम्बर, 2013
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-


सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-22/2013 गृ0आ0 /पटना, दिनांक नवम्बर, 2013
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-22/2013 गृ0आ0 8921 /पटना, दिनांक 29 नवम्बर, 2013
प्रतिलिपि:-अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्री मिटु प्रसाद, भा0पु0से0 (2001), पुलिस अधीक्षक (सी0), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


29/11/13
सरकार के अपर सचिव।